STATEMENT BY THE PRIME MINISTER

Setting up of 'Sri Ram Janambhoomi Teerth Kshetra' Trust

माननीय अध्यक्ष : माननीय प्रधान मंत्री जी।

प्रधान मंत्री (श्री नरेन्द्र मोदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं आपके बीच, देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक विषय पर जानकारी देने के लिए विशेष तौर पर उपस्थित हूं। यह विषय करोड़ों देशवासियों की तरह ही मेरे हृदय के भी करीब है और इस पर बात करना मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूं। यह विषय श्रीराम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ है। यह विषय अयोध्या में श्रीराम जन्मस्थली पर भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर निर्माण से जुड़ा हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 9 नवम्बर, 2019 को मैं करतारपुर साहब कॉरिडोर के लोकार्पण हेतु पंजाब में था। गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व था, बहुत ही पवित्र वातावरण था। उसी दिव्य वातावरण में मुझे देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा श्रीराम जन्मभूमि विषय पर दिए गए ऐतिहासिक फैसले के बारे में पता चला था। इस फैसले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि श्रीराम जन्मभूमि के विवादित स्थल के भीतरी और बाहरी आंगन पर रामलला विराजमन का ही स्वामित्व है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि केन्द्र और राज्य सरकार आपस में परामर्श करके सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन आबंटित करें।

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे आज इस सदन को, पूरे देश को यह बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि आज सुबह केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।

मेरी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार श्रीराम जन्मस्थली पर भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए, और इससे संबंधित अन्य विषयों के लिए एक बृहद योजना तैयार की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट 'श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र' ट्रस्ट का नाम होगा। 'श्रीराम जन्मभूमि तीर्ष का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। यह ट्रस्ट अयोध्या

में भगवान श्रीराम की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य श्रीराम मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा।

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सर्वोच्च अदालत के आदेशानुसार गहन विचार-विमर्श और संवाद के बाद अयोध्या में पांच एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को आबंटित करने का अनुरोध उत्तर प्रदेश सरकार से किया गया। इस पर राज्य सरकार ने भी अपनी सहमति प्रदान कर दी है।

माननीय अध्यक्ष जी, भारत की प्राण वायु में, भारत के आदर्शों में, भारत की मर्यादाओं में, भगवान श्रीराम की महत्ता और अयोध्या की ऐतिहासिकता से, अयोध्या धाम की पवित्रता से हम सभी भली भांति परिचित हैं।

अयोध्या में भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर के निर्माण, वर्तमान और भविष्य में राम लला के दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या, और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। मेरी सरकार ने फैसला किया है कि अयोध्या कानून के तहत अधिग्रहित सम्पूर्ण भूमि जो लगभग 67.703 एकड़ है, और जिसमें भीतरी और बाहरी आंगन भी सम्मिलित है, उसे नवगठित श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को हस्तांतरित किया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 9 नवंबर को राम जन्मभूमि पर फैसला आने के बाद सभी देशवासियों ने अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर पूर्ण विश्वास जताते हुए बहुत ही परिपक्वता का उदाहरण दिया था। मैं आज सदन में देशवासियों के इस परिपक्व व्यवहार की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमें वसुधैव कुटुम्बकम् और सर्वे भवन्तु सुखिन: का दर्शन देती हैं और इसी भावना के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती हैं।

हिन्दुस्तान में हर पंथ के लोग चाहे वह हिन्दू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, बौद्ध, पारसी और जैन हों, हम सभी एक बृहत् परिवार के ही सदस्य हैं। इस परिवार के हर सदस्य का

विकास हो, वे सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध बनें, देश का विकास हो, इस' सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चल रही है।

आइए, इस ऐतिहासिक क्षण में, हम सभी सदस्य मिलकर अयोध्या में श्रीराम धाम के जीर्णोद्धार के लिए, भव्य राम मन्दिर के निर्माण के लिए एक स्वर में अपना समर्थन दें।

[Placed in Library, see No. LT 1874A/17/20]